

क्र./शिक्षक-शिक्षा/30-1/एम.एड./प्रवेश/विभागीय/20/2018/ 1105 रायपुर, दिनांक 24.03.2018
प्रति,

प्राचार्य,

1. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर
2. शासकीय शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
3. कल्याण महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई

विषय- एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 में प्रवेश बाबत ।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर में एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 हेतु प्रवेश नियम आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

दोनों शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित एम.एड. (विभागीय) व एम.एड. (सीधी भर्ती) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन ऑनलाइन SCERT वेबसाइट में भरा जाना है। आवेदनों की सूची बनाने एक्सेल फारमेट में तैयार कर SCERT द्वारा आपको इमेल से भेजा जायेगा।

एम.एड.(विभागीय) प्रवेश हेतु राज्य के दोनों शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में दिनांक 04.06.2018 को चयन परीक्षा आयोजित की जायेगी। इस संबंध में समय सारिणी संलग्न है जिसके अनुसार समस्त कार्य संपन्न किए जाने हैं। प्रश्न पत्र परिषद् द्वारा प्रिंट करा कर दिया जायेगा। एम.एड.(विभागीय) में चयन इस चयन परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार तैयार किये गये मेरिट के आधार पर किया जायेगा। एम.एड.(विभागीय) प्रवेश नियम के अनुसार चयन समिति गठन करना होगा। प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित शिक्षा महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। एम.एड. (सीधी भर्ती) हेतु प्रवेश प्रक्रिया पूर्ववत् रहेगा।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें एवं 10 जुलाई 2018 से अध्यापन कार्य अनिवार्यत सुनिश्चित करें।


संलग्न - एम.एड. प्रवेश नियम।

(सुधीर कुमार अग्रवाल)
संचालक

पृ. क्र./शिक्षक-शिक्षा/30-1/एम.एड./प्रवेश/विभागीय/20/2018/ 1106 रायपुर, दिनांक 24.03.2018
प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
5. संचालक, पंचायत विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
7. कुलसचिव, पं.रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर।

संचालक



**एम.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2018-20 हेतु
प्रवेश नियम**

1. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर एवं कल्याण महाविद्यालय, भिलाईनगर में शैक्षिक सत्र 2018-20 के दौरान एम.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र व नियमावली SCERT के वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु निम्नांकित अभ्यर्थी online आवेदन <http://scert.cg.gov.in> में जाकर दिनांक 15.04.2018 से 01.05.2018 तक कर सकते हैं।
 - (i) स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उपसंचालक संवर्ग के पदाधिकारी
 - (ii) स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' संवर्ग के कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक एवं समकक्ष पदाधिकारी, (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी /प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक)
 - (iii) स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' संवर्ग के कार्यरत प्राचार्य/व्याख्याता/उच्च श्रेणी शिक्षक एवं समकक्ष वर्ग एवं समकक्ष पदाधिकारी (सहायक संचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला/प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक)
 - (iv) पंचायत/नगरीय निकाय संवर्ग के कार्यरत व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत)
 - (v) सीधी भर्ती हेतु पात्रताधारी अभ्यर्थी (जो सेवा में नहीं है)।

2. निर्धारित सीटें :-

| क्र | संस्था का नाम | स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' व 'टी', तथा पंचायत तथा नगरीय निकाय संवर्ग के लिए एम.एड. (विभागीय) प्रवेश हेतु निर्धारित सीटें | | सीधी भर्ती की सीटें | कुल योग |
|-----|--|--|---|---------------------|------------|
| (i) | (ii) | (iii) | | (iv) | (v) |
| | | उपसंचालक/ प्राचार्य/व्याख्याता/ व्याख्याता (पंचा.) संवर्ग | प्र.पाठक (पूर्व मा.शाला)/ उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (पं.)/प्र.पाठक(प्राथ.शाला) /सहायक शिक्षक /सहायक शिक्षक (पंचा.), संवर्ग | | |
| | | (iii) (a) | (iii) (b) | | |
| 1 | शास. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर | 35 | 09 | 06 | 50 |
| 2 | शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर | 35 | 09 | 06 | 50 |
| 3 | कल्याण महाविद्यालय सेक्टर-6, भिलाई नगर | — | — | 50 | 50 |
| | कुल योग | 70 | 18 | 62 | 150 |

नोट :-

1. एम.एड.(विभागीय) में प्रवेश हेतु विभागीय अभ्यर्थियों की दो श्रेणियों बनायी गयी है। पहली श्रेणी में सभी विभागों के उपसंचालक/प्राचार्य/व्याख्याता/व्याख्याता (पंचायत) सम्मिलित हैं जिनके लिए 80% सीट्स तथा दूसरी श्रेणी में सभी विभागों के प्रधान पाठक (पूर्व मा.शाला)/उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला)/सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षक (पंचायत) सम्मिलित हैं जिनके लिए 20% सीट्स आरक्षित होगा। इन दोनों श्रेणियों में प्रवेश हेतु चयन समिति द्वारा तैयार किए चयन सूची के अनुसार किया जायेगा।
2. किसी एक श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में दूसरे श्रेणी के अभ्यर्थियों से रिक्त सीटों की पूर्ति की जा सकेगी।
4. न्यूनतम अर्हताएँ : उपरोक्त क्रमांक 1.(i) (ii) (iii) (iv) के लिए—
 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
 2. NCTE के नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड.परीक्षा (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सम्मिलित रूप से) में प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत हो। इसमें SC/ST/OBC(क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ व दिव्यांग में अंधे/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
 3. बी.एड. की परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो।
 4. प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।
 5. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार पाठ्यक्रम बी.एड.उपाधि प्राप्त करने वाले भी एम.एड.(विभागीय) प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पत्राचार व अपने व्यय पर बी.एड. करने वाले शिक्षकों को बी.एड. परीक्षा दो वर्ष या इससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन नहीं होगा।
5. न्यूनतम अर्हताएँ उपरोक्त क्रमांक 1.(v) के लिए :-
 1. NCTE द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी.एड.परीक्षा (सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक खण्डों में सम्मिलित रूप से) में कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी एम.एड. प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) / व दिव्यांग में अंधे/शिथिलांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट होगी।
 2. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त पत्राचार पाठ्यक्रम से बी.एड.उपाधि प्राप्त करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।
 3. बी.एड.परीक्षा दो वर्ष या उससे पूर्व उत्तीर्ण होने का बंधन इस वर्ग के लिए नहीं है।

4. अभ्यर्थी की आयु शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार मान्य होगी।
5. अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।
6. अभ्यर्थी को अंतिम संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी आचरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. प्रवेश हेतु शर्तें :-

1. स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' एवं पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग के अभ्यर्थियों का चयन अभ्यर्थी से संबंधित क्षेत्र के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए आयोजित चयन परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गयी प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा।
2. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASSE), बिलासपुर व शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर में एम.एड. (विभागीय) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से आहरित होगा।
3. आवेदकों (सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को छोड़कर) के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं होगा।
4. चयनित समस्त अभ्यर्थियों को संबंधित शिक्षा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
5. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश लेने के उपरांत एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।
7. चयन होने के बाद प्रवेश न लेने अथवा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने पर अभ्यर्थी आगामी दो वर्षों के लिए चयन हेतु अपात्र माना जावेगा परन्तु शासकीय आदेश/निर्देश पर प्रशिक्षण छोड़ने वाले अभ्यर्थी पर यह नियम लागू नहीं होगा।
8. सीधी भर्ती के स्थानों में नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ी जाति (क्रिमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। महिलाएँ/विशेष आवश्यकता समूह /विधवा/परित्यक्ता/भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पाल्यों के लिए आरक्षित स्थान राज्य शासन के नियमानुसार रहेंगे। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति छ.ग.बी.एड. प्रवेश नियम के अनुसार सीटों को परस्पर परिवर्तन कर की जायेगी। 6 सीट्स के लिए सीटों का आबंटन निम्नानुसार किया जायेगा :-

| | ST | SC | OBC | UR | कुल सीट्स |
|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----------|
| | 32% | 12% | 14% | | 06 |
| अगले सत्र 2017-18 में | 02 | — | 01 | 03 | 06 |
| सत्र 2018-19 | 02 | 01 | — | 03 | 06 |
| सत्र 2019-20 | 02 | 01 | 01 | 02 | 06 |
| सत्र 2020-21 | 01 | 01 | 01 | 03 | 06 |

(नोट – उपरोक्त सीटों में से किसी भी संवर्ग की कम से कम एक सीट यथा स्थिति नियमानुसार महिला वर्ग से भरी जाये।)

9. एम.एड. (विभागीय) में यदि विभागीय सीटें रिक्त रहती हैं तो महाविद्यालय एम.एड. सीधी भर्ती के सीटों में एवं सीधी भर्ती की सीटें रिक्त रहती हैं तो विभागीय सीटों में परस्पर परिवर्तन कर सभी सीट भरने की कार्यवाही कर सकेगी।
10. क्रमांक 1.(i) (ii) (iii) (iv) के अभ्यर्थियों ने विगत दो वर्षों में तीन माह से अधिक समयावधि का एक से अधिक प्रशिक्षण शासकीय खर्च पर न लिया हो। परिवीक्षा अवधि में कार्यरत व्याख्याता (पंचायत) व शिक्षक (पंचायत) के आवेदन विचार नहीं किया जायेगा।
11. चयन का आधार सीधी भर्ती के लिए बी.एड. के प्राप्तांक एवं विभागीय अभ्यर्थियों के लिए एम.एड. प्रवेश हेतु आयोजित चयन परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की गई प्रवीणता सूची होगा। विभागीय अभ्यर्थियों के प्रवीणता सूची में अंक समान होने की स्थिति में एवं सीधी भर्ती में अभ्यर्थियों के बी.एड. के प्राप्तांक समान होने के स्थिति में अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जायेगी।
12. चयन परीक्षा शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (CTE), रायपुर, शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन, संस्थान (IASE), बिलासपुर में आयोजित किया जायेगा। सीधी भर्ती के लिए चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। चयन परीक्षा दिनांक 04.06.2018 को आयोजित की जायेगी। इस तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना SCERT के वेबसाइट में दी जायेगी। अभ्यर्थी स्वयं के व्यय में इस चयन परीक्षा में सम्मिलित होंगे सम्मिलित अभ्यर्थियों को इसके लिए कोई TA/DA शासन द्वारा देय नहीं होगा।
13. एम.एड. की चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम व अंक विभाजन निम्नानुसार होगा :-

एम.एड. चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम

- | | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. सामान्य मानसिक योग्यता | — | 20 अंक |
| 2. सामान्य ज्ञान (समसामयिक मुद्दे) | — | 10 अंक |
| 3. शिक्षण अभिरुचि | — | 10 अंक |

4. भाषा बोध (हिन्दी व अंग्रेजी) – 30 अंक
5. मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र – 30 अंक

सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा ऋणात्मक अंक (निगेटिव मार्किंग) नहीं होगा। इस परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंको की पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा।

14. चयन परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूचना SCERT के वेबसाइट में दी जायेगी।
15. जिन अभ्यर्थियों ने SCERT के Website में Online फार्म जमा किया है, उन्हें चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी परन्तु अभ्यर्थी का पात्रता का निर्धारण अभ्यर्थी के अग्रेषित आवेदन तथा इसके साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रारंभिक जाँच के उपरान्त ही होगा।
16. चयन परीक्षा के बाद जिन अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है उनके आवेदनों व दस्तावेजों का प्रारंभिक जाँच महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

7. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(1) क्रमांक 1.(i), (ii), (iii), (iv), (v) के लिए –

स्कूल शिक्षा विभाग 'ई', स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' एवं पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में SCERT रायपुर के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में दिनांक 15.04.2018 से दिनांक 30.04.2018 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही इस आवेदन का प्रिंट आउट (हार्ड कापी) निकालकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराना होगा।

- संस्था प्रमुख आवेदन को अग्रेषित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 08.05.2018 तक भेजेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन को चेकलिस्ट अनुसार परीक्षण कर अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को दिनांक 22.05.2018 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे।
- जिला शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा।

- शासकीय शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत अभ्यर्थी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन को अग्रेषित कराकर संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।
- पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग के व्याख्याता (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) अपने आवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने से पहले संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/जिला पंचायत (जो लागू हो) से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा। शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गई प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति व वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक संबंधी जानकारी वास्तविक दस्तावेजों पर दी गई जानकारी में भिन्नता होने पर ऐसे शिक्षकों के आवेदन को महाविद्यालय अमान्य कर सकती है।

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर से संबद्ध जिले :-

- | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 1. रायपुर | 2. महासमुंद | 3. दुर्ग | 4. राजनांदगांव | 5. कवर्धा |
| 6. बस्तर | 7. दंतेवाड़ा | 8. धमतरी | 9. कांकेर | 10. बेमेतरा |
| 11 बलौदाबाजार | 12.बालोद | 13.गरियाबंद | 14.सुकमा | 15.बीजापुर |
| 16.कोण्डागांव | 17. नारायणपुर । | | | |

शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर से संबद्ध जिले :-

- | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 1. बिलासपुर | 2. कोरबा | 3. जांजगीर | 4. रायगढ़ | 5. जशपुर |
| 6. सरगुजा | 7. सूरजपुर | 8. बलरामपुर | 9. कोरिया | 10. मुंगेली |

(2) **क्रमांक 1.(v) के लिए :-**

सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 30.05.2018 तक SCERT के वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन का प्रिंट आउट प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ वे जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, दिनांक 31.05.2018 तक संबंधित संस्था के प्राचार्य को अपना आवेदन पत्र जमा करेंगे।


(3) आवेदन पत्र के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.एड. तथा आयु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियाँ भी अभ्यर्थियों को संलग्न करनी है। सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो तहसीलदार से निम्न पद का न हो, द्वारा प्रमाणित छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए), PH प्रमाण पत्र अंतिम अध्यापन किये गये संस्था के प्राचार्य द्वारा प्रदत्त आचरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। प्रवेश के समय मूल टी.सी. जमा करना होगा।

- (4) कार्यालय संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर को सीधे भेजे गये किसी भी श्रेणी के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (5) प्रत्येक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय द्वारा अपने क्षेत्र के अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा।
- (6) परीक्षा परिणाम घोषित करने के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया एक समिति गठित कर की जायेगी। चयन समिति में संबंधित शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य अध्यक्ष होंगे तथा संचालक, के द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होंगे। शेष प्रतिनिधियों में से एक-एक स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' से होंगे जो स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जायेंगे।
- (7) एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी करने के लिए चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची को चयन सूची जारी करने के दिवस को ही भेजना होगा तथा ई-मेल पता scertcg@gmail.com पर ई-मेल करना होगा। अभ्यर्थी अपना चयन SCERT के वेबसाइट <http://scert.cg.gov.in> में भी देख सकते हैं।
- (8) अग्रेषणकर्ता अधिकारी के लिए चेक लिस्ट –
- I. अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई को 55 वर्ष से अधिक न हो।
 - II. अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच/अपराधिक मामला/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लम्बित न हो।
 - III. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित दस्तावेज बिना संलग्न किए अग्रेषण न करें।
 - IV. बी.एड. में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इसमें SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर)/ दिव्यांग के अभ्यर्थी को 5% की छूट का प्रावधान रहेगा।
 - V. SC/ST/OBC (क्रिमीलेयर को छोड़कर) वर्ग से अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक में छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अंधे/शिथिलांग आवेदकों को सक्षम अधिकारी का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - VI. परिवीक्षा अविधि में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित नहीं करना है।

प्रवेश के समय चाहे गये प्रमाण-पत्र पूर्ण एवं सही व नियमानुसार पाये जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। मूल प्रमाण-पत्र की जाँच का प्रवेश के समय संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा किया जावेगा। जाँच के दौरान प्रमाण-पत्र सही व नियमानुसार न पाये

जाने पर आवेदक को प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी और इस संबंध में संबंधित प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।

प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों के संबंध में निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।


संचालक

टेबल (A)

बी.एड. / एम.एड. (विभागीय) एवं एम.एड. (सीधी भर्ती) 2018-20 में प्रवेश की समय सारणी

| क्र. | पाठ्यक्रम का नाम | ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | अग्रोषित आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि | जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जाँच की अंतिम तिथि | चयन परीक्षा की तिथि | दावा आपति के लिए मॉडल उत्तर जारी करना | दावा आपति की अवधि | उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं मेरिट सूची तैयार करना | एम.एड. (विभागीय) में सफल अभ्यर्थियों के आवेदनों की जाँच | चयन समिति का बैठक तिथि | चयन सूची जारी करना |
|------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | बी.एड (विभागीय) | 01.05.2018 | 08.05.2018 | 22.05.2018 | 11.06.2018 | — | — | — | — | — | 15.06.2018 | 20.06.2018 |
| 2 | एम.एड (विभागीय) | 01.05.2018 | 08.05.2018 | 22.05.2018 | — | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 से 12.06.2018 | 22.06.2018 तक | 30.06.2018 | 03.07.2018 | 05.07.2018 |
| 3 | एम.एड. (सीधी भर्ती) | 30.05.2018 | — | सीधे महाविद्यालय में आवेदन जमा करेंगे 31.05.2018 | 15.06.2018 | — | — | — | — | — | 30.06.2018 | 30.06.2018 |


संचालक